



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)


दिनांक: 20.12.2022

फा.सं. 71/1/एनसीएसटी/2020-प्रशा.

कार्यालय आदेश

सुश्री दीपिका खन्ना, सहायक निदेशक को दिनांक 01 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्यालय नई दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

2. उन्हें दिनांक 30 दिसंबर 2022 (अपराह्न) को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय के अपने कार्यभार से मुक्त किया जाता है क्योंकि दिनांक 31 दिसंबर 2022 को रविवार (अवकाश) है।
3. वे नियमानुसार सीटीजी/टीए/डीए और कार्यग्रहण वेतन इत्यादि के हकदार नहीं होंगी।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(राजेश कुमार वर्मा)  
अवर सचिव (प्रशा.)

दूरभाष सं०: 011-24657271

सेवा में,

सुश्री दीपिका खन्ना,  
सहायक निदेशक  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,  
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. माननीय सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक (प्रशा.)/निदेशक (आरएमडीसी/एपीसीआर), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
6. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
7. अवर सचिव (प्रशा.), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
10. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, (भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रांची, रायपुर एवं शिलांग)।
12. एनआईसी सेल को एनसीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।